| हुकम | हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>राजस्व वाद / आवेदन (अपील) संख्या 02/18 अनवान उगराराम बनाम ग्राम पंचायत नांद | नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | राज्य सरकार के निर्देशनुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उदेश्य से पक्षकारान अटल सेवा केन्द्र / पंचायत घर नांद पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 09/05/18 को अटल सेवा केन्द्र / पंचायत घर नांद पर पत्रावली पेश हो।<br><br>सहायक कलक्टर,<br>(एसडीओ) बाड़मेर | |
| 09-5-18 | पत्रावली अटल सेवा केन्द्र, नांद पर पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। उत्तरदाता सं0 02 दीपाराम उपस्थित। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी एवं उत्तरदाता सं0 02 से 04 के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा लिछमणोणी वेरडो का वास पटवार मण्डल नांद में आई हुई है। खातेदार खेताराम पुत्र पदमाराम की फौतगी पर पारित नामान्तरकरण सं0 19 दिनांक 20.07.2001 ने विधि एवं तथ्य की भूल ग्राम पंचायत, नांद द्वारा की गई है। मृतक खातेदार के जायन्दा पुत्र अपीलार्थी उत्तरदाता सं0 02 से 04 है। अपीलार्थी का सही नाम उगराराम पुत्र खेताराम है। परन्तु पारित नामान्तरकरण में अमराराम पुत्र खेताराम अंकित कर दिया है जो अशुद्ध नाम है। अपीलार्थी ने नामान्तरकरण को निरस्त करने एवं ग्राम लिछमणोणी वेरडो का वास पटवार मण्डल नांद में स्थित खसरा नं. 658/1 वर्तमान खसरा नं. 757/658 रकबा 51–00 बीघा में अपीलार्थी का सही नाम उगराराम पुत्र खेताराम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।<br><br>अपील पंजीयन कर उत्तरदातागण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उत्तरादातागण बावजूद सम्मन तामिल अनुपस्थित रहे। तहसीलदार, बाड़मेर से अपील में अंकित तथ्यो के बारे में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। मजमे आम में उपस्थित लोगो से जानकारी ली गई। उत्तरादाता दीपाराम जो शिविर में उपस्थित था के बयान लिये गये दीपाराम ने अपने बयानो में अपीलार्थी का सही नाम उगराराम होना स्वीकार किया। उगराराम उनका सगा भाई है। अमराराम नाम का कोई भी मृतक खातेदार का जायन्दा पुत्र नहीं है। उन्होनें राजस्व रेकर्ड में अमराराम पुत्र खेताराम के स्थान पर<br><br>उप खण्ड अधिकारी<br>बाड़मेर | दीपाराम<br><br>पटवारी<br><br>सरपंच<br>ग्रा. पं. नांद<br>पं.स.बाड़मेर(बाड़मेर) |

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उगराराम पुत्र खेताराम अंकित किये जाने की सहमति व्यक्त की है। तहसीलदार, बाड़मेर ने मौका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से भी पाया गया है कि पटवारी नांद, भू.अ. निरीक्षक सुरा, श्री दुर्जनसिंह पूर्व सरपंच, नादं एवं वर्तमान सरपंच ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अमराराम पुत्र खेताराम का नाम पारित नामान्तरकरण में गलत अंकित किया गया। अपीलार्थी का सही नाम उगराराम पुत्र खेताराम अंकित किये जाने कि अनुाशंषा की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, नांद द्वारा अपीलधीन नामान्तरकरण सं0 19 पर पारित आदेश दिनांक 20.07.2001 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि नये सिरे से नामान्तरकरण खोला जाकर ग्राम लिछमणोणी वेरडो का वास पटवार मण्डल नांद में स्थित खसरा नं. 757/658 रकबा 51–00 बीघा भूमि में अंकित खातेदार अमराराम पुत्र खेमाराम के स्थान पर उगराराम पुत्र खेताराम अंकित करते हुए समस्त राजस्व अभिलेख में अमलदरामद सुनिश्चित करावे।

आदेश मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बाडमेर

Scanned by CamScanner